

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2025-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद में आने वाले विवरण के मालों को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक हैं, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2515 11 00, 2515 12, 2516 11 00, 2516 12 00	सभी माल	20%
2.	2933 59	सभी माल	7.5%
3.	3302 10	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 239 के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	20%

4.	3406	सभी माल	20%
5.	3824 60	सभी माल	20%
6.	3824 99 00	सभी माल	7.5%
7.	3920, 3921	पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लैक्स फिल्मस स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए पीवीसी फ्लैक्स फिल्म पद के अंतर्गत पीवीसी फ्लैक्स बैनर और पीवीसी फ्लैक्स शीट भी हैं ।	20%
8.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	सभी माल	20%
9.	6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00, 6802 92 00	मार्बल स्लेब	20%
10.	7113	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 356, 357 और 364ग के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	20%
11.	7114	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 356 और 357 के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	20%
12.	7404 00 12, 7404 00 19, 7404 00 22	सभी माल	शून्य

13.	8002	टिन वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
14.	8101 97 00	टंगस्टेन वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
15.	8102 97 00	मॉलिब्डेनम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
16.	8103 30 00	टैन्टेलम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
17.	8105 30 00	कोबाल्ट वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
18.	8106 90 10	बिस्मथ और विस्मथ मिश्र धातु के वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
19.	8109 31 00, 8109 39 00	जर्कोनियम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
20.	8110 20 00	एन्टिमनी वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
21.	8112 13 00	बेरिलियम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
22.	8112 41 20	रैनियम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
23.	8112 61 00	कैडमियम वेस्ट और स्क्रेप	शून्य
24.	8541 42 00, 8541 43 00 8541 49 00	सभी माल	20%
25.	8702	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 524 और 525 के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	20%
26.	8703	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 526 और 526क के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	70%

27.	8704	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 524 और 525 के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	20%
28.	8711	अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न सारणी की क्र.सं. 531 और 531क के अधीन समाविष्ट माल के अलावा सभी माल	70%
29.	8712 00 10	बाईसाइकिल	20%
30.	8903	सभी माल	20%
31.	9028 30 10	प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत् मीटर (स्मार्ट मीटर)	20%
32.	9401, 9403, 9404 ,9405	सभी माल	20%
33.	9503 00 91	इलैक्ट्रॉनिक खेलौनों के पुर्जे	20%
34.	9802 00 00	सभी वस्तुएं, सिवाय उन वस्तुओं के जो दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के साथ संलग्न सारणी के क्रम संख्या 606क के अंतर्गत आती हैं।	70%
35.	9803 00 00	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं, जो किसी यात्री या चालक दल के सदस्य द्वारा अपने सामान में आयात की जाती हैं, सिवाय उन वस्तुओं के जो दिनांक 31 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 26/2016- सीमा शुल्क के अंतर्गत आती हैं।	70%
36.	9804	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं, सिवाय उन वस्तुओं के जो दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के साथ संलग्न सारणी के क्रम संख्या 608 के अंतर्गत आते हैं	20%

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार